सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानुभूति की झलक

प्रकाश चन्द्र गौतम

माध्यमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अपनी विशिष्टता है क्योंकि विद्यार्थी मानव-समाज में हो रहे परिवर्तन को अपने आसपास के समुदाय के माध्यम से, घरों पर बारीकी से अवलोकन करके, समाचार पत्रों, मीडिया इत्यादि के माध्यम से समझ सकता है। एक शिक्षक को भी समुदाय से समान अनुभव मिलता है। लेकिन वयस्कों और बच्चों के अनुभवों के बीच एक बड़ा अन्तर है : बच्चे अपने आसपास की चीज़ों का बारीक़ी से निरीक्षण करते हैं और सामाजिक मुद्दों, तथ्यों, घटनाओं पर निरन्तर विचार-विमर्श के बाद राय का निर्माण करते हैं, जबकि इसके विपरीत वयस्कों के पास भले ही अनुभव ज़्यादा हो लेकिन उनका सोचने का तरीक़ा तयशुदा खाँचों में ढल चुका होता है इसलिए अधिकांश सामाजिक मुद्दे शायद उन्हें न चौंका पाएँ।

आइए एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जब एक बच्चा, ख़ासकर 12 या 13 वर्ष में, पहली बार किसी एक सामाजिक बुराई का सामना करता है। मैं आमतौर पर सामाजिक विज्ञान के ऐसे विद्यार्थियों से स्कूल में मिलता हूँ और उनके साथ मेरा सबसे सुखद समय वह होता है, जब वे मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, जैसे :

- *हमारे चारों ओर की दीवार पर कुछ नारे जैसे 'लड़की/बेटी को बचाओ' क्यों लिखा रहता है?*
- *लड़कों के लिए यह क्यों नहीं लिखा जाता है?*
- *केवल हमारी माँ ही घर के काम में हमेशा व्यस्त क्यों रहती हैं?*
- *परिवार की महिला सदस्यों पर ही सुबह से रात तक काम का बोझ क्यों लादा गया है?*
- *क्यों कुछ काम, जैसे कि बर्तन साफ़ करना और गृह-व्यवस्था, केवल महिला सदस्यों द्वारा किए जाते हैं?*

विद्यार्थियों का सामुदायिक मामलों से जुड़ाव और जिस तरह से वे अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं वह उनके प्रश्नों, बातचीत और सोच-विचार के माध्यम से शिक्षक के सामने आता है, विशेषकर कक्षागत प्रक्रियाओं के दौरान।

यहाँ मैं अपनी पिछले साल की कक्षा के कुछ 'चित्र' साझा कर रहा हूँ। मैं अपनी कक्षा के लिए योजना बना रहा था और छठी और बारहवीं सदी के बीच सामाजिक परिवर्तन विषय पढ़ाने की सोच रहा था। हमारी आपसी बातचीत के दौरान बच्चों के प्रश्न लगातार आया करते थे और वे हमारे दोस्त जैसे थे। मैं बच्चों को एक प्रोजेक्ट देने वाला था और सातवीं कक्षा एवं 13-14 वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट में उनके प्रश्नों को गूँथने की कोशिश कर रहा था और उसमें पूरी तरह डूबा हुआ था। मैं अपनी तैयारी के बारे में बहुत उत्साहित था। सामाजिक विज्ञान जैसे विषय के व्यापक आयाम हैं और असीमित चर्चाओं और बहस की काफ़ी गुंजाइश भी। इसमें शिक्षक ऐसा मंच निर्मित कर सकता है जहाँ किताबों से परे, बच्चे स्वयं अपनी व्याख्याएँ विकसित कर सकते हैं।

ऐसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मैंने कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया। हमारे वर्ग में तीस विद्यार्थी थे और उन्हें छह उप-समूहों में विभाजित किया गया था। यह एक प्रासंगिक विषय था, जिसमें बच्चे मध्यकालीन समाज और रीति-रिवाज की जटिलताओं से परिचित थे। हमने *छठी और बारहवीं शताब्दी एवं आधुनिक युग में महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन* पर काम करना शुरू कर दिया। हमने पाठ्यक्रम की किताबें, अन्य मध्ययुगीन ऐतिहासिक पुस्तकें, पुस्तकालय और समाचारपत्रों को चुना। हमारे पास स्रोत व्यक्ति भी थे जैसे कि– स्कूल के अन्य शिक्षक, अज़ीम प्रेमजी जिला संस्थान के स्रोत व्यक्ति, अभिभावक आदि। अपने कार्यक्षेत्र से भी स्रोत जुटाने की योजना थी।

प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने में सात दिन लग गए और विद्यार्थी अपनी नियमित कक्षाओं के अलावा भी काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और मुझे यह देखकर ख़ुशी हुई कि उनकी राय अलग-अलग थी। कक्षा में हुई कुछ चर्चाएँ इस प्रकार हैं :

शिक्षक : क्या हम हमारी पाठ्यपुस्तकों में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द / शब्दावली की स्पष्टता प्राप्त करके कक्षा शुरू कर सकते हैं?

विद्यार्थी : जी हाँ!

शिक्षक : तो मुझे कुछ उदाहरण दें!

विद्यार्थी : सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, शिक्षा से वर्जित होना आदि।

वयस्कों के रूप में, हम 'सामग्री और विशिष्टता' पर काम करते हैं जबकि बच्चे भावनाओं पर ध्यान केन्द्रित करते। वे क्रूर घटनाओं को महसूस करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं क्योंकि वे संयुक्त परिवारों का हिस्सा होते हैं तथा ग्रामीण समुदायों में भावनाओं को मूल्यवान माना जाता है।

शिक्षक : क्या कोई सती प्रथा के बारे में अपनी समझ का वर्णन कर सकता है?

बच्चों का एक समूह : यह एक परम्परा है जिसमें जीवित महिलाओं को जबरन अपने मृत पति की चिता पर रख दिया जाता था।

शिक्षक : क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक महिला को इस दौरान कितना दर्द सहना पड़ता था?

क्या यह इसके बारे में बात करने जितना आसान था?

एक समूह : नहीं, यह वास्तव में पूरे परिवार और गाँव के लिए एक कठिन समय था।

इसके अलावा, उनके बच्चों का क्या हुआ? हमने उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है।

संयुक्त परिवार में होने के नाते उन्होंने उन बच्चों के बारे में पूछा जिनकी माताओं को क्रूरता से जला दिया गया था।

दूसरा समूह : मैं दर्द की कल्पना कर सकता हूँ क्योंकि एक बार मेरी उँगली मोमबत्ती की लौ में जल गई और उसे ठीक होने में हफ़्तों लग गए।

शिक्षक : ओह! आप उन महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं जिन्हें इस रीति–रिवाज़ के नाम पर जला दिया गया था? क्या वे इसके लिए सहमत हुई होंगी?

विद्यार्थी : शायद नहीं...

शिक्षक : आओ हम अपने निष्कर्षों पर चर्चा करें। क्या तुम अतीत और आज के बीच तुलना के लिए कुछ सुझाव पेश कर सकते हो?

एक समूह : एक समूह के रूप में हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि आधुनिक समय में उसके समान बुरे या उससे भी बदतर रीति-रिवाज़ हैं।

शिक्षक : कैसे?

समूह : हमारे पास बहुत सारे समाचारपत्रों की कटिंग हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि महिला-भ्रूण हत्या की गई है; जिससे इस बात को ज़ोर मिलता है कि भ्रूण में लड़कियों को ही मारा गया है।

शिक्षक : हाँ, यह किया जा रहा है। ऐसे समाचार पढ़ना दुखद है।

जब बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं, सोच-विचार और चिन्तन करने के लिए रुकते हैं,बातचीत और बहस करते हैं, तो शिक्षकों को प्रसन्नता होती है कि वे अपने स्वयं के विचारों/मत के साथ दुनिया का सामना कर सकेंगे।

विद्यार्थी : यह और अन्य बुराइयाँ जैसे बाल-शोषण और यौन-उत्पीड़न अभी भी मौजूद हैं।

इसका मतलब है हम मध्य-युग से अलग नहीं हैं। महिलाएँ और लड़कियाँ अभी भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं।

शिक्षक : दुर्भाग्य से, यह हमारी असली दुनिया है। लेकिन हम पुराने रीति-रिवाज़ों से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं।

विद्यार्थी : लेकिन हम इससे असहमत हैं।

शिक्षक : ठीक है, पर क्या आप इसे विस्तारपूर्वक बता सकते हैं? मेरा मानना है कि हमने शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, प्रौद्योगिकी आदि में अच्छी प्रगति की है।

एक शिक्षक के रूप में काफ़ी प्रसन्नता होती है जब बच्चों के अपने विचार होते हैं और वे सोचने और चिन्तन करने के लिए रुकते हैं। (कुछ पढ़ने और चर्चा करने के बाद हम सामाजिक दुनिया के रास्ते पर आगे बढ़ चले, अपने-अपने विचारों / दृष्टिकोण के साथ।)

नीचे बच्चों की नोटबुक के कुछ नोट्स हैं जो उन्होंने चर्चा के बाद तुलना के रूप में लिखे थे-

पिछले विषय से जुड़ाव की दृष्टि से पूरे प्रोजेक्ट में क्रमिक सम्बन्ध बनाती एक अन्य दिलचस्प गतिविधि थी, ओपन एंडेड सवाल। यहाँ इसका एक हिस्सा दिया गया है :

प्रश्न : आपकी राय के अनुसार महिलाओं के कुछ बुनियादी अधिकार क्या हैं?

उन्होंने संयुक्त रूप से विकसित किया और लिखा है :

1- स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार।

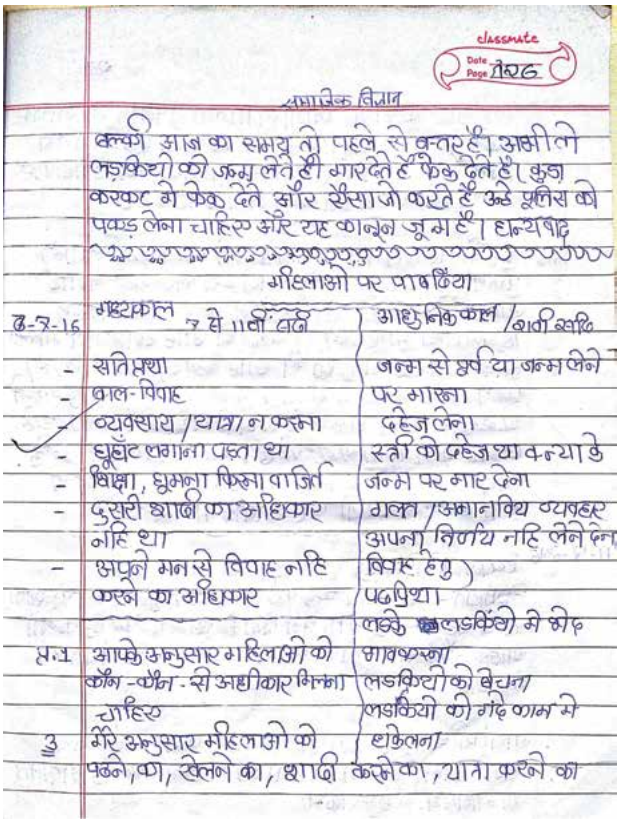

classmate

Date

Page 12G

समाजिक विज्ञान

क्योंकि आज का समय तो पहले से बेहतर है। अभी तो लड़कियों को जन्म लेते ही मार देते हैं फेंक देते हैं। कुडा करकट में फेंक देते और ऐसा जो करते हैं उन्हे पुलिस को पकड़ लेना चाहिए और यह कानून जुर्म है। धन्यवाद

महिलाओ पर पाबंदिया

8-7-16 मध्यकाल 7 से 11वीं सदी	आधुनिक काल / 21वीं सदि
- सति प्रथा	जन्म से पूर्व या जन्म लेने पर मारना
- बाल-विवाह	दहेज लेना
- व्यवसाय / यात्रा न करना	स्त्री को दहेज या कन्या के
- घूंघट लगाना पड़ता था	जन्म पर मार देना
- शिक्षा, घुमना फिरना वार्जित	गलत / अमानविय व्यवहार
- दुसरी शादी का अधिकार नहि था	अपना निर्णय नहि लेने देना (विवाह हेतु)
- अपने मन से विवाह नहि करने का अधिकार	पर्दाप्रथा
	लड़के लड़कियो मे भेद भाव करना
	लडकियो को बेचना
	लडकियो को गंदे काम मे धकेलना

प्र.1 आपके अनुसार महिलाओ को कौन-कौन-सी अधिकार मिलना चाहिए

उ मेरे अनुसार महिलाओ को पढने का, खेलने का, शादी करने का, यात्रा करने का

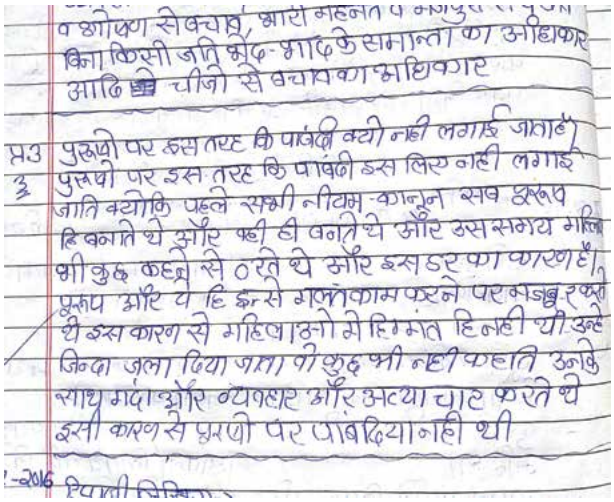

व शोषण से बचाव, भारी मेहनत व मजदुरी से मुक्ति बिना किसी जाति भेद-भाव के समानता का अधिकार आदि चीजो से बचाव का अधिकार

प्र3 पुरूषो पर इस तरह कि पाबंदी क्यो नही लगाई जाती है।

उ पुरूषो पर इस तरह कि पाबंदी इस लिए नही लगाई जाति क्योकि पहले सभी नीयम-कानून सब पुरूष हि बनाते थे और वही ही बनते थे और उस समय महिला भी कुछ कहने से डरते थे और इस डर का कारण है, पुरूष और वे हि इनसे गलत काम करने पर मजबुर करते थी इस कारण से महिलाओ मे हिम्मत हि नही थी उन्हे जिन्दा जला दिया जाता वो कुछ भी नही कहती उनके साथ गंदा और व्यवहार और अत्याचार करते थे इसी कारण से पुरुषो पर पाबंदिया नहि थी

-2016 टिप्पणी लिखिए

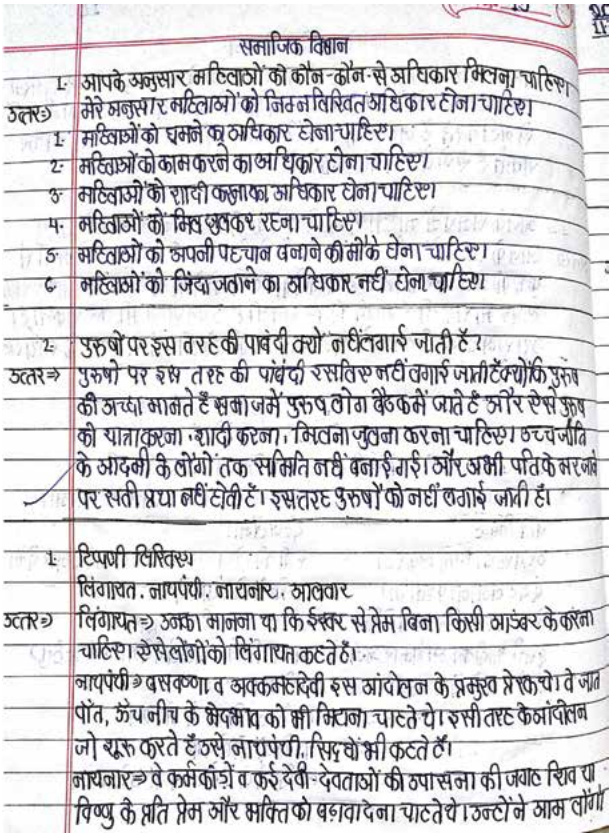

समाजिक विज्ञान

1. आपके अनुसार महिलाओं को कौन-कौन-से अधिकार मिलना चाहिए।

उत्तर मेरे अनुसार महिलाओं को निम्न लिखित अधिकार होना चाहिए।

1. महिलाओं को घूमने का अधिकार होना चाहिए।
2. महिलाओं को काम करने का अधिकार होना चाहिए।
3. महिलाओं को शादी करने का अधिकार होना चाहिए।
4. महिलाओं को मिल जुलकर रहना चाहिए।
5. महिलाओं को अपनी पहचान बनाने की मौके देना चाहिए।
6. महिलाओं को जिंदा जलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

2. पुरुषों पर इस तरह की पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती है?

उत्तर⇒ पुरुषों पर इस तरह की पाबंदी इसलिए नहीं लगाई जाती है क्योंकि पुरुष को अच्छा मानते हैं समाज में पुरुष लोग बैठक में जाते हैं और ऐसे पुरुष को यात्रा करना, शादी करना, मिलना जुलना करना चाहिए। उच्च जाति के आदमी के लोगों तक समिति नहीं बनाई गई। और अभी पति के मरजाने पर सती प्रथा नहीं होती हैं। इसतरह पुरुषों को नहीं लगाई जाती हैं।

1. टिप्पणी लिखिए

लिंगायत, नायपंथी, नायनार, आलवार

उत्तर⇒ लिंगायत⇒ उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम बिना किसी आडंबर के करना चाहिए। ऐसे लोगों को लिंगायत कहते हैं।

नाथपंथी⇒ बसवण्णा व अक्कमहादेवी इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरक थे। वे जात पांत, ऊंच नीच के भेदभाव को भी मिटाना चाहते थे। इसी तरह के आंदोलन जो शुरू करते हैं उसे नाथपंथी, सिद्धों भी कहते हैं।

नायनार⇒ वे कर्मकांडों व कई देवी-देवताओं की उपासना की जगह शिव या विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने आम लोगों

7-7-16

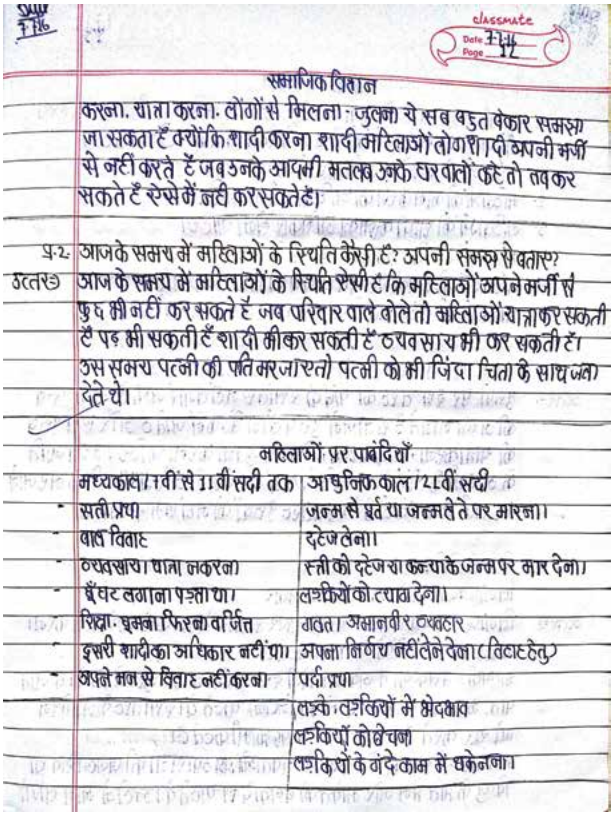

classmate

Date 7-7-16

Page 12

समाजिक विज्ञान

करना, यात्रा करना, लोगों से मिलना-जुलना ये सब बहुत बेकार समझा जा सकता है क्योंकि शादी करना शादी महिलाओं लोग शादी अपनी मर्जी से नहीं करते हैं जब उनके आदमी मतलब उनके घरवालों कहे तो तब कर सकते हैं ऐसे में नहीं कर सकते हैं।

प्र.2. आजके समय में महिलाओं के स्थिति कैसी है? अपनी समझ से बताए?

उत्तर⇒ आज के समय में महिलाओं के स्थिति ऐसी है कि महिलाओं अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब परिवार वाले बोले तो महिलाओं यात्रा कर सकती हैं पढ़ भी सकती हैं शादी भी कर सकती हैं व्यवसाय भी कर सकती हैं। उस समय पत्नी की पति मर जाए तो पत्नी को भी जिंदा चिता के साथ जला देते थे।

महिलाओं पर पाबंदियाँ

मध्यकाल / 7वीं से 11वीं सदी तक	आधुनिक काल / 21वीं सदी
- सती प्रथा	जन्म से पूर्व या जन्म लेते पर मारना।
- बाल विवाह	दहेज लेना।
- व्यवसाय। यात्रा न करना	स्त्री को दहेज या कन्या के जन्म पर मार देना।
- घूँघट लगाना पड़ता था।	लड़कियों को दबाव देना।
- शिक्षा, घूमना फिरना वर्जित	गलत। अमानवीय व्यवहार
- दूसरी शादी का अधिकार नहीं था।	अपना निर्णय नहीं लेने देना (विवाह हेतु)
- अपने मन से विवाह नहीं करना।	पर्दा प्रथा
	लड़के, लड़कियों में भेदभाव
	लड़कियों को बेचना
	लड़कियों के गंदे काम में धकेलना।

2- काम करने का अधिकार।

3- अपनी पसन्द के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार।

4- सभी महिलाओं को एक साथ रहना चाहिए।

5- महिलाओं के पास अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के अवसर होने चाहिए।

6- किसी को भी किसी महिला को मारने / जलाने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त विचार, विश्लेषण एवं एक स्तर की समझ के उपरान्त आए हैं जिन्हें संक्षेप में साझा किया गया है और जिनमें एक ऐसे वृहद समाज, जिसे हम देखना चाहेंगे, उसकी झलक दिखाई देती है। विश्वास, संवाद एवं चर्चा के माध्यम से बढ़ता है और यह सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का एक अन्तर्भूत अंग है। बारह या तेरह वर्ष की उम्र के बच्चे महिला-अधिकार को कैसे देखते हैं, यह इसका एक अच्छा उदाहरण है।

इनमें से कुछ विचार बच्चों के सन्दर्भ से आते हैं, कुछ उनके अनुभवों से और कुछ सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु की समझ से।

प्रकाश चन्द्र गौतम फरवरी, 2012 से अज़ीम प्रेमजी स्कूल, धमतरी,छत्तीसगढ़ में शिक्षण में संलग्न हैं। इससे पहले, वे 16 से भी अधिक वर्षों तक मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षक थे। जिसमें जनजातीय, ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि के स्कूल शामिल थे। उन्होंने पहली से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के साथ काम किया है। वे अँग्रेज़ी, इतिहास और जीव विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। उन्होंने एआईआर रायपुर, छत्तीसगढ़, में एक कैज्युल उद्घोषक के रूप में भी काम किया है। उनसे prakash.gautam@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** सुजाता